



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082021-229061
CG-DL-E-17082021-229061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3096]
No. 3096]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SRAVANA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3346(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चिलकालूरिपेट से नेल्लोर खंड के किमी. 1210+000 से किमी. 1215+000 तक भूमि के विस्तार में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का विकास के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् काला और विशेष उप कलेक्टर ऑंगोल को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राज्य के प्रकाशम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के चिलकालुरिपेट से नेल्लोर सेक्शन के किमी. 1210+000 से किमी. 1215+000 तक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के प्रस्तावित अधिकार में आने वाली संरचनाओं के साथ या बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण आंध्रप्रदेश के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: प्रकाशम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: कोरिसापाडु					
गांव का नाम: पिचिकालगुडीपाडु					
1	131/A3A1B	निजी (इनाम (बंदोबस्ती भूमि))	ड्राई	0.1600000(एकर)	0.0647511
2	93/1	निजी (पत्ता)	ड्राई	0.1900000(एकर)	0.0768919
3	94/2B	निजी (पत्ता)	ड्राई	0.3900000(एकर)	0.1578308
4	96/1C2	निजी (इनाम (बंदोबस्ती भूमि))	ड्राई	0.4600000(एकर)	0.1861594
5	96/2C2	निजी (इनाम (बंदोबस्ती भूमि))	ड्राई	0.1600000(एकर)	0.0647511
6	97/3B	निजी (इनाम (बंदोबस्ती भूमि))	ड्राई	0.1800000(एकर)	0.0728450
कुल				1.5400	0.6232

[फा. सं. NHAI/PIU-NLR/Notif/LA(HQ)-2009/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3346(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Development of EMERGENCY LANDING in the Stretch of Land from KM.1210+000 to 1215+000 of Chilakaluripet to Nellore section of NH16 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA & SPECIAL DEPUTY COLLECTOR(LA) ONGOLE in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with in the Proposed Right of Way of EMERGENCY LANDING FACILITY From KM. 1210+000 to KM. 1215+000 of Chilakaluripet to Nellore Section of NH16 in the district of PRAKASAM in the State of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH		District: PRAKASAM			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Korisapadu					
Village: Pichikalagudipadu					
1	131/A3A1B	Private (INAM (Endowment Land)	Dry	0.1600000(Acre)	0.0647511
2	93/1	Private (Patta)	Dry	0.1900000(Acre)	0.0768919
3	94/2B	Private (Patta)	Dry	0.3900000(Acre)	0.1578308
4	96/1C2	Private (INAM (Endowment land)	Dry	0.4600000(Acre)	0.1861594
5	96/2C2	Private (INAM (Endowment Land)	Dry	0.1600000(Acre)	0.0647511
6	97/3B	Private (INAM (Endowment Land)	Dry	0.1800000(Acre)	0.0728450
Total				1.5400	0.6232

[F. No. NHAI/PIU-NLR/Notif/LA(HQ)-2009/3A]

RAJESH GUPTA, Director